



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-284/2021 दिनांक 14.10.2021)

दिनांक- 14.10.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

तस्कर कर वध हेतु ले जायी जा रही 12 राशि गोवंश पशु बरामद, 02 पशु तस्कर गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा काजीपुर हाइवे कट के पास से दो नफर अभियुक्तों को एक अदद डीसीएम ट्रक वाहन संख्या UK 04 CA8647 में 11 राशि जिंदा गोवंशीय पशु व 1 राशि मृत गोवंशीय पशुओं के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 449/21 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 429 भादवि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1-एक अदद डीसीएम ट्रक वाहन संख्या UK 04 CA8647 व 11 राशि गोवंशीय पशु जिन्दा व 1 राशि गोवंशीय पशु मृत बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 449/21 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 429 भादवि0

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1-अब्दुल मलिक पुत्र खलिक निवासी नगलिया अकिल थाना टांडा जिला रामपुर उ0प्र0
2-साकिर अली पुत्र सोनू निवासी गुलरा टांडा थाना पलिया जिला लखीमपुर खीरी उ0प्र0

बरामदगी /गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-उ0नि0 आलोक कुमार चौकी प्रभारी फाजिलनगर थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर
2-का0 उमाशंकर यादव थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर
3-का0 राहुल कुमार गुप्ता थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर
4-का0 मुन्द्रिका प्रसाद थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर
5-का0 दिव्यमान यादव थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर
6-का0 नीरज कुमार थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर
7-का0 जयहिन्द यादव थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर

जुआ अधिनियम में की गयी कार्यवाही-(कुल-04)

थाना तुर्कपट्टी-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.10.2021 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम महुअवा बुजुर्ग सूर्यमंदीर के पीछे से अभियुक्त रवी चौहान पुत्र मदन चौहान साकिन महुअवा बुजुर्ग थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर आदि 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मालफड 6760 रूपया व जामा तलाशी से 530 रूपये व मौके से ताश के 52-52 पत्ते बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-253/2021 धारा 13 जुआ एक्ट अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- रवी चौहान पुत्र मदन चौहान साकिन महुअवा बुजुर्ग थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 2- राजेन्द्र पटेल पुत्र कैलाश पटेल साकिन महुअवा बुजुर्ग थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 3- सुनील पुत्र अमेरिका साकिन महुअवा बुजुर्ग थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
- 4- दिलीप कुमार पुत्र सूर्य नारायण महतो साकिन महुअवा बुजुर्ग थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

विवरण बरामदगी-

1. रवी चौहान के पास से 110 रूपया, राजेन्द्र पटेल के पास से 120 रूपया, सुनील के पास से 140 रूपया, दिलीप कुमार के पास से 160 रूपया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

SHO श्री जय प्रकाश पाठक

उ0नि0 श्री गिरधारी यादव

हे0का0 अरबिन्द कुमार राय

हे0का0 सचिदानन्द सिंह

का0 विनोद यादव

का0 अरबिन्द यादव

का0 विनीत सिंह

का0 अमरेन्द्र राय

रि0का0 प्रशान्त सिंह

वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी-(कुल-01)

थाना जटहाँ बाजार-

थाना जटहाँ बाजार पुलिस टीम द्वारा एक नफर वारन्टी अभियुक्त रमाशंकर पुत्र महावीर सा0 मंशाछापर थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 35 / 2017 धारा 138 बी विद्युत अधिनियम में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)

थाना तरयासुजान-

थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त दीपू सिंह पुत्र धरम सिंह सा0 चौपथिया थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 386/2021 धारा 363,366 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा नफर 31 अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान-80 वाहन।

2. 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-25, व्यक्ति-67

3. 110 जा0फौ0 में कार्यवाही-(07)

4. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)

5. वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी-(कुल-01)

6. जुआ अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-01, अभि0-04, बरामदगी- मालफड 6760 रूपया व जामा तलाशी से 530 रूपये व मौके से ताश के 52-52 पत्ते।

7. पशु क्रूरता अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-01, अभि0-02, बरामदगी-

8. जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-39)

मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर